खाद्य पर कार्रवाईः भारत में खाद्य सुरक्षा पर

साभार : द हिन्दू 09 अगस्त, 2017

(यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (खाद्य प्रसंस्करण, भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।)

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बेहतर पहुंच प्राप्त होनी चाहिए

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, को लंबे समय तक राजनीतिक उदासीनता का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब कुछ उम्मीद की जा सकती है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राज्य प्रगतिशील कानून के प्रमुख पहलुओं को लागू करें। स्वराज अभियान मामले में निर्देश निराशाजनक वास्तविकता को रेखांकित करता है कि कई राज्यों की सरकारें कानून में महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं जिससे सब्सिडी वाले भोजन को हासिल करने में आम व्यक्ति सशक्त नहीं बन पाता हैं। धारा 14, 15 और 16 में जो कि शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना और कानून के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राज्य खाद्य आयोग की आवश्यकता होती है, उन्हें हरियाणा के अलावा कहीं नहीं नामित किया गया। पिछले नवंबर में केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने दावा किया था कि इस अधिनियम में पूरे देश को शामिल किया गया है, जो कहीं से भी तथ्यों के अनुरूप नहीं है। जैसा कि अदालत ने बताया कि अनुच्छेद 256, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघों पर जिम्मेदारी रखता है, साथ ही यह कई उपाय भी प्रदान करता है, जिससे कि केंद्र कई मुद्दों को ठीक करने के लिए इसे लागू कर सके। दुर्भाग्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बाल कल्याण योजनाओं के जरिए सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एनएफएसए, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण प्रभावित हुआ है।

समानतावादी लक्ष्यों के साथ एक कानून के रूप में, एनएफएसए ने सार्वभौमिक पहुंच के सिद्धांत के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के लिए बेहतर माहौल निर्धारित किया जाना चाहिए, हालांकि भारत के हर नागरिक को इसकी आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा चुने गए लक्षित परिवारों को उच्च अनुदानित खाद्यान्न सुनिश्चित कराना ही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 75% आबादी और शहरी क्षेत्रों में 50% आबादी को यह सुविधा प्रदान की जाये। लेकिन नए परिवारों के प्रवेश की अनुमति देने के लिए प्रणाली में अंतर्निहित तंत्र की आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्था तब ही की जा सकती है, जब खाद्य आयोग के रूप में पूर्णतः स्वतंत्र मशीनरी और सामाजिक लेखा-परीक्षा के अलावा सामाजिक स्तर की शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद हो। देखा जाये तो ये सभी अधिनियम के तहत प्रदान किए गए हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। पीडीएस के आधुनिकीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ उन लोगों को सब्सिडी वाले भोजन की आपूर्ति के लिए ऐसी गतिशील विशेषताओं को शामिल कर सकती हैं, जिनकी आवश्यकता है और साथ ही यह कमियों और धोखाधड़ी को भी खत्म कर सकता हैं। अब, जब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को इस साल अधूरा कार्यो को पूरा करने के लिए अदालत ने विशिष्ट निर्देश दे दिए हैं, तो इसे गवां चुके समय को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसा कि व्यापक रूप से देखा गया है कि कुछ राज्य पीडीएस को दूसरों की तुलना में बेहतर रूप से क्रियान्वयन करने में सफल रहे हैं और खाद्य सुरक्षा कानून भी एक समान रूप से मानकों को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपकरण साबित हुआ है। संसद में पेश खाद्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान प्रणाली सार्वजनिक शिकायतों के वास्तविक पैमाने पर प्रतिबिंबित नहीं करती है जिसमें वर्ष 2016 में देश भर में लाभार्थियों से प्राप्त 1,106 शिकायतें शामिल है। इसलिए एनएफएसए को सार्थक बनाने के लिए अदालत के हस्तक्षेप का पूर्ण स्वागत है।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न

1. खाद्य सुरक्षा बिल से भारत में भूख व कुपोषण के विलोपन की आशा है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न आशंकाओं की समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। साथ ही यह भी बताएं कि विश्व संगठन (WTO) में इससे कौन-सी चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं? (2013)
2. भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करने की राह में विपणन और पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्या बाधाएं हैं? क्या इन बाधाओं पर काबू पाने में ई-वाणिज्य सहायक हो सकता है? (2015)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को अधिसूचित किया है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य व इसके मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है।

उद्देश्य–

1. एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन-चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी कवर की जाएगी। पात्र व्यक्ति चावल/ गेहूं/ मोटे अनाज क्रमशः 3/ 2/ 1 रूपए प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का हकदार होगा। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवार, जिनमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल हैं, 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करते रहेंगे।
2. इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौषणिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6000 रूपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने का भी हकदार होंगी। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार होंगे। हकदारी के खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र के गठन का भी प्रावधान है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी इस अधिनियम में अलग से प्रावधान किए गए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की विशेषताएं-

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत कवरेज और हकदारी।
- टीपीडीएस के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की एक-समान हकदारी के साथ 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर किया जाएगा। तथापि, चूंकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) में निर्धनतम परिवार शामिल होते हैं और ये परिवार वर्तमान में 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के लिए हकदार हैं, अतः मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की हकदारी सुनिश्चित रखी जाएगी।

राज्य-वार कवरेज-

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 75% और 50% के अखिल भारतीय कवरेज के अनुरूप राज्य-वार कवरेज का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना आयोग ने वर्ष 2011-12 के लिए एनएसएस पारिवारिक उपभोग सर्वेक्षण आंकड़ों का प्रयोग करके राज्य -वार कवरेज का निर्धारण किया है और राज्य-वार 'इनक्लूजन अनुपात' भी उपलब्ध कराया है।

टीपीडीएस के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त मूल्य और उनमें संशोधन-

- इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए टीपीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न अर्थात् चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमशः 3/2/1 रूपए प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्त मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। तदुपरान्त इन मूल्यों को न्यूमतम समर्थन मूल्य के साथ उचित रूप से जोड़ा जाएगा।
- यदि अधिनियम के तहत किसी राज्य का आवंटन उसके वर्तमान आवंटन से कम है तो इसे पिछले 3 वर्ष के औसत उठान के स्तर तक संरक्षित रखा जाएगा जिसके मूल्य का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। पिछले 3 वर्षो के दौरान औसत उठान को संरक्षित करने के लिए अतिरिक्त आवंटन हेतु एपीएल परिवारों के लिए मौजूदा मूल्यों अर्थात् गेहूं के लिए 6.10 रूपए प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 8.30 रूपए प्रति किलोग्राम को निर्गम मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया है।
- **परिवारों की पहचान :** टीपीडीएस के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कवरेज के दायरे में पात्र परिवारों की पहचान संबंधी कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना है।
- **महिलाओं और बच्चों को पौषणिक सहायता :** गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 माह से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मध्यान भोजन (एमडीएम) स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित पौषणिक मानदण्डों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे। 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च स्तर के पोषण संबंधी मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।
- **मातृत्वं लाभ :** गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार होंगी, जो 6000 रूपए से कम नहीं होगा।
- **महिला सशक्तिकरण :** राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार की मुखिया माना जाएगा।
- **शिकायत निवारण तंत्र :** जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र, राज्यों को मौजूदा तंत्र का उपयोग करने अथवा अपना अलग तंत्र गठित करने की छूट होगी ।
- **खाद्यान्नों की राज्यों के भीतर ढुलाई तथा हैंडलिंग संबंधी लागत और उचित दर दुकान डीलरों का मार्जिन:** केंद्रीय सरकार राज्यों के भीतर खाद्यान्नों की ढुलाई, हैंडलिंग और उचित दर दुकान के मालिकों के मार्जिन पर किए गए खर्च को पूरा करने के लिए इस प्रयोजनार्थ बनाए जाने वाले मानदण्डों के अनुसार राज्यों को सहायता उपलब्ध कराएगी।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही :** पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित रिकार्डो को सार्वजनिक करने, सामाजिक लेखा परीक्षा करने और सतर्कता समितियों का गठन करने का प्रावधान किया गया है।
- **खाद्य सुरक्षा भत्ता :** हकदारी के खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में हकदार लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान।
- **दण्ड :** जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा संस्तुत राहत का अनुपालन न करने के मामले में राज्य खाद्य आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारी या प्राधिकारी पर दण्ड लगाए जाने का प्रावधान।

संभावित प्रश्न

''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 राजनीतिक उदासीनता के कारण लाभार्थियों की पहुँच से दूर होता जा रहा है।'' इस कथन के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के उद्देश्य व इसके मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालिए। (200 शब्द)

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322
GS World